–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 102/2020

उनवान

रंगलाल पुत्र हीरा जाति भील निवासी ग्राम मोराझडी, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवकता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज. पैरोकार

2. गोपाल पुत्र हीरा
3. रामी पुत्री हीरा
4. सुरता उर्फ सीता पुत्री हीरा समस्त जाति भील निवासी ग्राम मोराण्डी, नसीराबाद
———— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 2 से 4 अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनिश्म 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 18/3/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी में स्थित आराजी मुतनाजा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पिता हीरा पुत्र दावल की खातेदारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	किता
502/499	किता 5	1.50
500/497	किता 8	2.93

उक्त आराजी में से खाता संख्या 500/497 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता हीरा पुत्र दावल की खातेदारी की व खाता संख्या 502/499 तेजा, रतना, सुजा व हीरा पुत्र दावल की खातेदारी की है। तेजा, रतना, सुजा पि. दावल अविवाहित फौत हो गये है। उक्त आराजी पर हीरा पुत्र दावल ही काबिज काश्त था। जिसकी मृत्यु के उपरान्त वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का आराजी मुतनाजा पर हक व अधिकार निहित है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निमन तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी के पूर्वजों की [illegible]/काश्तकारी की है ?
—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा पर वादी [illegible] प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, शजरा प्रमाण पत्र व मुत्यु प्रमाण पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1 व 2:–

उक्त दोनो तनकी एक दूसरे की पूरक होने के कारण दोनो तनकी का साथ विवेचन किया जाना उचित है। आराजी मुतनाजा में से खाता संख्या 500/497 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता हीरा पुत्र दावल की खातेदारी की व खाता संख्या 502/499 तेजा, रतना, सुजा व हीरा पुत्र दावल की खातेदारी की है। वादी का कथन है कि तेजा, रतना, सुजा पि. दावल अविवाहित फौत हो गये है। उक्त आराजी पर हीरा पुत्र दावल ही काबिज काश्त था। जिसकी मृत्यु के उपरान्त वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का आराजी मुतनाजा पर हक व अधिकार निहित है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को घोषित किया जावे। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पूर्वजों की खातेदारी है। वादी उक्त आराजी पर विरासत द्वारा अपना व अन्य वारिसान का नाम दर्ज कराना चाहता है। किन्तु उसके द्वारा आराजी मुतनाजा पर विरासत के नामान्तकरण के लिये पूर्व में क्या प्रयास किये गये यह स्पष्ट नही किया है। वादी का कथन है कि तेजा, रतना, सुजा पि. दावल अविवाहित फौत हो गये है। किन्तु उनके अविहित होने के कथन सिद्व करने हेतु वादी द्वारा कोई ठोस मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है। मूल खातेदार के अन्य विधिक वारिस होने की संभावना भी है। मूल खातेदार के अविहित फौत होने के कथन विस्तृत जॉच अथवा साक्ष्य से ही सिद्व हो सकते है। वादी का मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर विरासत अधिकार प्राप्त करना है, जिसके लिये उसे तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष वांछित दस्तावेज के साथ आवेदन पेश करना चाहिये। बिना ठोस साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत किये वाद के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम मोराझडी के खाता संख्या 502/499 किता 5 रकबा 1.050 व 500/497 किता 8 रकबा 2.93 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रंगलाल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 102/2020
पेश करने की दिनांक – 17.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रविन्द्र शर्मा मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोराझडी के खाता संख्या 502/499 किता 5 रकबा 1.050 व 500/497 किता 8 रकबा 2.93 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 8 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested